



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक 131 /प्रवाचक/2020

सिंगरौली, दिनांक 29/09/2020

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी,
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

विषय:- वन मण्डल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र पूर्व सरई के कक्ष क्रमांक RF-338, RF-358 एवं PF-315 के रकबा 226.349 हे0 वन भूमि तथा तहसील सरई के अंतर्गत विभिन्न खसरों की 32.89 हे0 राजस्व वन भूमि को मिलाकर कुल 259.239 हे0 भूमियों में सुलियरी ओपन काष्ट पद्धति से कोयला उत्खनन कार्य- द आंध्र प्रदेश डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक /एफ-1/FP/MP/MIN/28619/2017 दिनांक 18/09/2020

कृपया सन्दिर्भित पत्र का अवलोकन करेंगे, प्रति संलग्न है। सुलियरी कोल माइन से प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमियों के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 74.68 हेक्टर राजस्व भूमि के स्थान अन्य किसी स्थान पर 75 से 100 हेक्टर राजस्व भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। तदुसार उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी द्वारा जांच कराई जाकर चितरंगी तहसील के राजस्व निरीक्षक मण्डल दुधमनिया अंतर्गत ग्राम डाला एवं बगदरी में नीचे दी गई सूची अनुसार 96.00 हेक्टर राजस्व भूमियों का चयन किया जाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

सूची

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	खसरा नम्बर	वनीकरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
डाला	1346	25.43	1346	23.77
	1308	2.24	1308	2.24

(क्रमशः)

(2)

1	2	3	4	5
	1282	0.33	1282	0.33
	1284	0.55	1284	0.55
	1292	2.62	1292	2.62
	1307	5.48	1307	5.48
	1315	0.62	1315	0.62
	1311	0.84	1311	0.84
	1312	1.07	1312	0.55
	1313	0.44	1313	0.44
	1314	0.09	1314	0.09
	1316	0.35	1316	0.35
	1294	2.88	1294	2.88
	1321	13.28	1321	13.28
	1328	1.01	1328	1.01
	1326	0.17	1326	0.17
	1325	0.21	1325	0.21
	1330	12.12	1330	12.12
	1331	0.95	1331	0.95
	1332	1.54	1332	1.54
	1333	0.96	1333	0.96
	योग	73.18	किता 21	71.00
बगदरी	922	27.89	922	27.89
दोनों ग्रामों का कुल योग				96.00

प्रस्तुत प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित भूमियां वनीकरण हेतु वन भूमि से लगी हुई हैं। प्रस्तावित आराजी से आम निस्तार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। वर्णित मापदण्डों के पूरा करती है। उक्त भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी शर्तों के अधीन कार्यवाही करने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी। तदुसार आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(राजीव रंजन मीना)

कलेक्टर

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 29/09/2020

पृष्ठांकन क्रमांक 132/प्रवाचक/2020

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, संजय टाइगर रिजर्व, जिला सीधी।
2. उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी।
3. मुख्य महाप्रबंधक, एपीएमडीसी, सुलियरी कोल माइन, सिंगरौली।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला सिंगरौली (म0प्र0)